22.3.22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष उप० आये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया गया। प्रार्थना-पत्र पेज नं 9 बिन्दु संख्या-17 में प्रार्थीगण ने स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा गया जबकि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी अनुतोष 212 में नहीं दी जा सकती है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष RTA 1955 की धारा-188 में ही देय है। अतः प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले [illegible] में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 14:37:27 IST
Reason: SelfAttested